

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 138 के अन्तर्गत)

प्रकरण संख्या 224/25
 दाखर दिनांक 27/03/25

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रशासन गांवों के संग-2025

निर्णय दिनांक 27/03/25

राजस्व ग्राम कीरवाड़ा पंचायत डा.श्रीमाना भूअंनियुक्त डा.श्रीमाना तहसील- कपासन

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	90	2778 2782 2784	1.98 ह०	कुन्ना पुत्र - पुन्नीलाल जाति- जाट हिस्सा - 1/6	किशनलाल पुत्र - पुन्नीलाल जाति- जाट हिस्सा - 1/6	

मुताबिक मिसल / जमाबन्दी संवत् 2074-77 के उपरोक्तानुसार ~~शुद्ध~~ शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का दृषियाना भूअंनियुक्त दृषियाना की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का दृषियाना भूअंनियुक्त दृषियाना राजस्व अधिकारी कपासन की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबन्दी में अमल किया जाये।



9

दिनांक
 ह० पटवारी
 प०म० डा.श्रीमाना

दिनांक 19/03/25
 ह० भूअंनियुक्त
कपासन

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

उपखण्ड अधिकारी
 (उपखण्ड अधिकारी)
कपासन

कपासन जिला-चित्तौड़गढ़